न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा–पत्र

उनवान कैलाशी बाई बनाम बजरंग लाल

किस्म मुकदमा धारा-२२५ अपील संख्या 2025/120

अभिभाषक अपीलान्ट चन्द्र मोहन शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
5.11.25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। रेस्पोडेन्टगण की तामील हेतु अभिभाषक अपीलांट को अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 9/12/25 को आगामी कार्यवाही हेतु पेश हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	9.12.25
9.12.25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को रूक-रूक कर तीन-तीन बार आवाजें लगवायी, फिर उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह पत्रावली दिनांक 10.01.2023 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गयी। दिनांक 23.6.25 को पुनः नम्बर पर लेते हुए दर्ज रजिस्टर की गयी। अभि. अपीलांट द्वारा आदिनांक तक रेस्पो. की तामील जरिये रजिस्टर्ड ए०डी० भी नहीं करवायी गयी। अतः पत्रावली पुनः अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा	[illegible]

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

28/2/22

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

RAA

श्री चन्द्रमोहन शर्मा एड० द्वारा दि० 28-2-22 को पेश की P.O. सा० का पद रिक्त है P.O. सा० के समक्ष पेश हेतु राकेश 28-2-22 रीडर SOCUMRAA Kota

रीडर बाद जांच रिपोर्ट करें

कैलाश बाई पत्नि अनार सिहं जाति भील निवासी महुआखेडा हाल निवासी रामपुरिया असनावर तहसील झालरापाटन जिला झालावाड

––अपीलांट

बनाम

1– बजरंग लाल आयु 70 साल

2– रामचन्द्र आयु 65 साल

3– गंगाराम आयु 60 साल

4– मोती लाल आयु 48 साल

5– राम सिहं आयु 45 साल

पिसरान भंवरिया जाति भील निवासीगण महुआखेडा तहसील खानपुर जिला झालावाड

6– बिल्लू बाई पत्नि राजेश पुत्री भंवरिया आयु 40 साल

7– भंवरी बाई पत्नि रामकिशन पुत्री कान्हा आयु 65 साल

8– मांगी बाई पुत्री कान्हा पत्नि देवी लाल आयु 40 साल

9– धारा सिहं पुत्र कंवरिया आयु 22 साल

10– मोडू लाल पुत्र भीमा आयु 48 साल

11– धनराज पुत्र भीमा आयु 45 साल

निवासीगण महुआखेडा तहसील खानपुर जिला झालावाड

12– कजोडी बाई पुत्री भीमा आयु 40 साल

निवासी बिसलाई, तहसील खानपुर जिला झालावाड

13– कला बाई पुत्री भीमा आयु 25 साल

निवासी झरनिया तहसील खानपुर जिला झालावाड

14– द्रोपदी बाई पुत्री भीमा आयु 22 साल

निवासी मालनवासा तहसील खानपुर जिला झालावाड

15– नन्द किशोर पुत्र अनार सिहं आयु 22 साल

16– लाड बाई पुत्र अनार आयु 21 साल

निवासीगण महुआखेडा हाल निवासी– रामपुरिया असनावर तहसील झालरापाटन जिला झालावाड

17– शाखा प्रबन्धक महोदय, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा खानपुर

18– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर जिला झालावाड

--रेस्पोडेन्टस

अपील बनाराजगी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.11.2019

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड

अपील अन्तर्गत 223 आर.टी.एक्ट

मान्यवर,

अपीलांट निम्न कारणों से अपील प्रस्तुत करती है–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री खिलाफ कानूनन एवं कानून के सर्वमान्य सिद्धान्तो के विपरित होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादी नं 3 अपीलांटा का भी वाद ग्रस्त आराजी मे हक व अधिकार निहित था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र वादी नं 1 का 1/126 हिस्सा व वादी नं 2 को 1/126 हिस्से का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जबकि अपीलांटा मृतक अनार सिहं की विवाहिता पत्नि होने के कारण अपीलांटा का भी हिस्सा उपरोक्त आराजीयात मे होने से अपीलांटा को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाना आवश्यक था ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के सर्व मान्य सिद्धान्तो की अवहेलना की है।

3– यह कि अपीलांटा के पति अनार सिहं घर से अचानक लापता हो गये थे जिसकी आज दिन तक खबर नहीं है यदि अनार सिहं जीवित होते तो स्वाभाविक रूप से उनके बारे मे सुना व देखा होता इतना अन्तराल निकल जाने के बाद उनके जीवित होने की कोई संभावना नहीं रही है इस कारण